न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—119/2019/225 (2019/00119)

1. काना पुत्र नारायण, जाति रैगर, निवासी साली, तह0 दूदू, जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र नारायण, जाति रेगर, नि0 साली, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
3. कालू पुत्र नारायण, जाति रेगर, नि0 साली, तह0 दूदू, जिला जयपुर।
4. सम्पति देवी पत्नि छोटू,
5. छीतर पुत्र छोटू,
6. महेन्द्र पुत्र छोटू,
7. सुरेन्द्र पुत्र छोटू,
8. शान्ति देवी पत्नि गोविन्द,
9. मुकेश पुत्र गोविन्द,

   समस्त जाति रैगर, निवासीगण ग्राम साली, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती सम्पति देवी पत्नि रतन, जाति रैगर, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. छीतर पुत्र रतन,
3. मेघराज पुत्र रतन,
4. मनराज पुत्र रतन,
5. कान्ता पुत्र रतन,
6. सुवालाल पुत्र घीसालाल,
7. गोपाल पुत्र घीसालाल,

   समस्त जाति रैगर, निवासीगण ग्राम साली, तह0 दूदूद्व जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

1. इन्द्रा पत्नि तेजू,
2. दीपक पुत्र तेजू,
3. अशोक पुत्र तेजू,
4. रामकरण पुत्र बिरदा,

   समस्त जाति रैगर, नि0 साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा **रेस्पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 5.3.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 91/2014.

उपस्थितः—

1. श्री मंजूर अली, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 .

निर्णय

दिनांकः— 30.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय दिनांक 5.3.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें वर्णित किया कि वादीगण/रेस्पो0 एवं प्रतिवादीगण/अपीलांटस स्व0 नानू उर्फ नानूड़ा के वारिसान है । विवादित भूमि वाके ग्राम साली में स्थित है जिसमें रेस्पो0 शांतिपूर्वक काबिज काश्त है । स्व0 नारायण जो परिवार का कर्ता खानदान था इसलिये पर्चा सेटलमेंट नारायण के नाम आया जबकि नारायण, घीसा, बिरदा बराबर—बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त रहे तथा उनके मरने के उपरांत उनके वारिसान भी अपने पिताजी के हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । स्व0 नारायण एवं रेस्पो0 के पूर्वज जीवित रहे, आराजियात बाबत् किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है लेकिन परिशिष्ट बी का अपीलांट द्वारा अब तक भी विरासत का नामांतकरण नही खुलवाया गया तथा हमेशा यह आश्वासन देते है कि नामांतकरण खुलते ही नाम करवा देगें लेकिन वर्तमान में जमीनों के भाव आसमान को छूने लगे जिससे अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड के आधार पर चुपचाप विक्रय करने की योजना बनाने लगे है जिस पर रेस्पो0 ने समझाया लेकिन अपीलांट संख्या में ज्यादा है एवं राजस्व रिकार्ड नाम होने से आनाकानी करने लगे है । दिनांक 15.9.2014 को अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि प्रार्थीगण/रेस्पो0 के नाम लगाने से मना करने पर यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण/अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 5.3.2019 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को ताफैसला मूल वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की बेजा मजामहत न स्वंय करें न अन्य से करावे न अन्य किसी नौकर चाकर एजेन्ट आदि से करवाये एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज पर बिना विचार किये प्रश्नगत आदेश पारित किया है । निर्णय पारित करने से पूर्व सभी

पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था क्योंकि नानू उर्फ नानूड़ा कभी भी परिवार का कर्ता खानदान नहीं रहा है । नारायण, घीसा, बिरदा तीनों भाई अपने परिवार के कर्ता खानदान रहे है वे तीनों ही भाईयों के नाम से पृथक पृथक सैटलमेंट पर्चा आया था उसी अनुसार नारायण, घीसा, बिरदा के वारिसान उसी अनुसार काबिज काश्त है । एक दूसरे के पर्चे में किसी का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है । परिशिष्ट डी में उल्लेखित भूमि का नारायण के नाम आये पर्चे से अपीलांटस के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई संबंध एवं सरोकार नही है। प्रार्थीगण ने उक्त तथ्य गलत किया है इसलिये प्रश्नगत निर्णय निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि उपरोक्त वाद में परिशिष्ट ए, बी, व डी में उल्लेखित भूमियों पर्चा से नानू उर्फ नानूड़ा के नाम नहीं आई है मात्र नारायण के नाम से पर्चा आया है । रेस्पो0 ने गलत रूप से उक्त तथ्य का अंकन किया है । रेस्पो0 स्वंय ने ही अपने वाद के पैरा संख्या 9 में उक्त तथ्य का अंकन भी किया है इस प्रकार रेस्पो0 का वाद अपने आप में ही विरोधाभासी तथ्यों पर आधारित है जिसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 ने उक्त प्रार्थना पत्र अपनी सही मनःस्थिति के साथ पेश नहीं किया है, प्रार्थना पत्र में पैरा भी गलत अंकित किया है व वाद के पैरा संख्या 8 व 10 में भिन्न भिन्न वाद कारण भी अंकित किया है । रेस्पो0 का उपरोक्त वाद वर्णित भूमि से कोई संबधं सरोकार नहीं है केवल मात्र अपीलांटस व प्रफोर्मा रेस्पो0 को हैरान व परेशान करने तथा खर्चे से जैरबआर करने के उद्देश्य से पेश किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । स्व0 नारायण परिवार का कर्ताखानदान था इसलिये पर्चा सैटलमेंट नारायण के नाम आ गया था जबकि नारायण, घीसा, बिरदा प्रत्येक का बराबर–बराबर 1/3, 1/3 हिस्से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा पूर्वजों के देहांत उपरांत उनके वारिसान अपने पिता के हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । लिखावट दिनांक 21.6.2017 के अनुसार पक्षकारान 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है । विवादित आराजियात का पर्चा अकेले नारायण के नाम आने से अपीलांटस विवादित आराजियात को बैचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात का बैचान, हस्तातंरण हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति रेस्पो0 को ही होती है। मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात की सुरक्षा किया जाना न्यायोचित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा संख्या 4 के परिशिष्ट ए में वर्णित भूमि खसरा नंबर 1418, 1419, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1749 व 3310 में प्रार्थीगण ने अपना 1/3 हिस्सा बताया है जबकि जमाबंदी संवत् 2066 खेवट नंबर 70 में उक्त भूमियां काना, कालू, बाबूलाल, छोटू पि0 नारायण, शांति पत्नि गोविन्द, राजू, मुकेश पि0 गोविन्द के नाम दर्ज है । इस खेवट संख्या 70 में प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वज घीसालाल के नाम वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार अंकित नहीं है । इसी प्रकार परिशिष्ट बी में खसरा नंबर 1377, 1416, 1755 की भूमियों में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी द्वारा नारायण का आधा हिस्सा प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा

अर्थात् 1/6 हिस्सा होना दर्शाया है जबकि जमाबंदी संवत् 2066 की खेवट संख्या 425 में भंवर्या वल्द चौथू का 1/2 हिस्सा, नारायण पुत्र नानूड़ा का आधा हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है इसमें भी अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण के पूर्वज घीसा पुत्र नानू उर्फ नानूड़ा का हिस्सा दर्ज नहीं है । इसी प्रकार परिशिष्ट सी में खसरा नंबर 1388 व 1402 में संवत् 2066 की जमाबंदी की खेवट संख्या 666 में लाला, गोपाल पि0 दीना, किशनी बेवा दीना, छीतर, राजू, लाली पि0 मूला, झमरी बेवा मूला, भेरू, हनुमान, पूरणा, पदमा, मनभर, विमला पि0 नोपा, श्याणी बेवा नोपा, भंवरिया पुत्र चौथू, नारायण पुत्र नानूड़ा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसमें भी अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण प्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज नहीं है । इसी प्रकार परिशिष्ट डी में अंकित खसरा नंबर 1748, 1858 में जमाबंदी संवत् 2066 के खेवट संख्या 291 में नारायण दत्तक पुत्र बाल्या की खातेदारी में अंकित है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में जो कथन लेकर आये है उनका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य उपरांत निर्धारित किया जावेगा । विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक भूल कारित की है । अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विधिसम्मत् नहीं होने से यथावत् नहीं रखा जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.3.2019 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर